अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

सेटलमेन्ट अपील वाद सं० 55/2021

03/01/2022

किशुन अहीर तथा अन्य
बनाम्
भुनेश्वर अहीर एवं अन्य

आदेश

सेटलमेन्ट अपील वाद सं० 55/2021 किशुन अहीर व अन्य के द्वारा दायर किया गया था जिसमे प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त राँची द्वारा पुनरीक्षण वाद 89/2006–07 रातु में पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश दिनांक 28.05.2008 को पारित हुआ था जिसमें प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आवेदकों के आवेदन में अनुरोध के आलोक में खाता 253 से भन्दरू अहीर एक अंश का नाम विलोपित करने का निर्णय दिया गया था। उक्त आदेश में खाता नं० 252(क) में नाम सुधार हेतु अलग से आवेदन दायर करने का निदेश दिया गया था जिसके आलोक में यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2008 में आदेश पारित होने के बाद 13.12.2021 को यह अपील दायर की गई है। स्पष्टतः इतने अधिक विलम्ब के पश्चात् अपील आवेदन को स्वीकार करना संभव नही है। आवेदकों के तरफ से यह कहा गया कि उन्हें निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी नही थी। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों के पक्ष को सुनते हुए आदेश पारित किया गया था। अतः आदेश की जानकारी नही होने का दावा उचित नही है। इस न्यायालय में बण्डा पर्चा में सुधार हेतु अनुरोध किस प्रावधान के तहत् किया गया है यह भी आवेदकों द्वारा स्पष्ट नही

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	किया गया है; तथा मात्र छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा 109 के अंतर्गत यह अपील दायर की गई हैं। प्रश्नगत आदेश में अपील का कोई विन्दु सन्निहित नही है; अपितु खाता संख्या 252 (क) के बण्डा पर्चा में सुधार हेतु अनुरोध किया गया है। स्पष्टतः इस न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन पर तेरह साल के विलम्ब के पश्चात विचार नही किया जा सकता है। अतः इस आवेदन को अस्वीकृत किया जाना है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 13:52:51 +05:30
Location: 10.93.72.187